उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 302 /पॉच–8–2016–एन(16)/2014टीसी
लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2016

उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश, 2016

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रवर्तन

1–(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कुशलता एवं दक्षता की अभिवृद्वि के उद्देश्य से प्रशिक्षित सामान्य उपचारिका की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य उपचारिका के प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए निर्गत उत्तर प्रदेश उपचारिका प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश, 1997 यथा संशोधित प्रथम संशोधन अनुदेश, 2009 को, वर्तमान परिदृश्य में प्रशिक्षार्थियों का चयन आन–लाइन प्रकिया के माध्यम से मेरिट के आधार पर किये जाने हेतु, अवक्रमित करते हुए "उत्तर प्रदेश सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश, 2016" को प्रख्यापित किया जाता है।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

भाग–दो–प्रशिक्षण का संवर्ग

प्रशिक्षण का संवर्ग

2– प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक सत्र मे अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता होगी।

परन्तुः

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेबायें, उ0प्र0, लखनऊ किसी सत्र में बिना प्रशिक्षण सत्र चलाये छोड़ सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति विधिक दावे का हकदार न होगा।

भाग–तीन–प्रशिक्षण चयन हेतु स्रोत

सामान्य उपचारिका

3 (1) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण के निमित्त महिला तथा पुरूष दोनों ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, किन्तु सामान्य

उपचारिका प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल प्रशिक्षणार्थियों की निर्धारित प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत तक स्थान पुरूष अभ्यर्थियों के लिए रखे जायेंगे।

(2) 85 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों से जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखता हो, से किया जायेगा।

(3) 15 प्रतिशत इच्छुक ए0एन0एम0 कार्मिकों से, जिन्होनें कम से कम पांच वर्ष ए0एन0एम0 के रूप में विभाग/एन0आर0एच0एम0/एन0एच0एम0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य किया हो तथा भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो, से किया जायेगा।

(4) यदि विभागीय 15 प्रतिशत के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं, तो अवशेष स्थानों पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा। किसी भी दशा मे रिक्त सीट को बिना भरी हुयी नहीं रखा जायेगा।

(5) विभागीय अभ्यर्थी को सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। संतोषजनक कार्य का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

आरक्षण

4 (1) प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र में स्वीकृत संहत प्रवेश क्षमता में से पुरूष प्रशिक्षार्थियों के स्थान कम करके

महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थानों पर संहत आरक्षण निर्धारित किया जायेगा तथा ऐसे आरक्षित स्थानों पर आवंटन प्रत्येक केन्द्र के लिए स्वीकृत प्रवेश क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपर्युक्त सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उपलब्ध हो जाये।

(3) पुरूष छात्र उपचारिकाओं के लिये समस्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये इन अनुदेशों के प्रवर्तन की तिथि की स्वीकृत कुल संहत प्रवेश क्षमता के दस प्रतिशत स्थान, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये नियमानुसार अनुमन्य स्थान आरक्षित रखें जायेंगे। आरक्षण की व्यवस्था शासन द्वारा समय–समय पर लागू अद्यतन नियमों के अधीन होगी ।

प्रशिक्षण व्यवस्था

5(1) प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा संचालित सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों एवं धात्री (मिडवाइफ) प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ऐसे चिकित्सालयों, जिनमें महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें आदेशित करेंगे, में की जायेगी।

(2) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का सत्र प्रतिवर्ष जुलाई माह की प्रथम कार्यदिवस के दिनांक से प्रारंभ होगा ।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

6– सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत मे आया हो,

या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, या किसी, पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और युनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया

हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पांत्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे प्रशिक्षण में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता–पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी चयन प्रकिया में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से चयनित भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता

7– सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थी को भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता होनी आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:–

(1) अभ्यर्थी ने 10+2 इण्टरमीडिएट परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो। विज्ञान वर्ग (पी0सी0बी0) के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

अथवा

10+2 व्यवसायिक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण (2001 के बाद संशोधित) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा

ए0एन0एम0 के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में पंजीकृत हो।

(2) अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

आयु

8– प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, जो कि वर्तमान में 31 दिसम्बर को 17 वर्ष है। 17 वर्ष की आयु प्रशिक्षण के विगत वर्ष 31 दिसम्बर को पूर्ण कर ली हो। प्रशिक्षण हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

9– प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त की गयी शिक्षा के स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य/राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है। प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य/ट्यूटर इंचार्ज इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगें।

टिप्पणी:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उनके संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

10– प्रशिक्षण के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो अथवा महिला के एक से अधिक जीवित पति हों।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

11–(1) किसी अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड–2, के भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें:

(2) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु आवश्यक है कि परिश्रम साध्य फील्ड कार्य के लिए पूर्णतः स्वस्थ एवं सशक्त अभ्यर्थी हो तथा कोई ऐसा मानसिक अथवा शारीरिक विकार न हो जो परिश्रम साध्य कार्य के लिए उन्हे किंचित मात्र भी अयोग्यता प्रदान करता हो।

प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारणा

12– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ प्रशिक्षण के वर्ष के दौरान प्रवेश हेतु चयन की जाने वाली रिक्तियों की संख्या प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षमता के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण हेतु आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

(1) सामान्य उपचारिका की प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन के लिए ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार एक ऐसा डाटाबेस तैयार करवाया जायेगा, जिसमें सामान्य उपचारिका के प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन के लिए वांछित समस्त डाटा एक प्रारूप पर उपलब्ध हो जाये जिसके आधार पर प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया सके, इसको विभागीय बेबसाईट से जोड़ते हुए आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

(3) व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम तीन राज्य स्तरीय दैनिक–समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना दी जायेगी तथा इस विज्ञापन को मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों, जनपदीय महिला एवं पुरूष चिकित्सालयों तथा सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों के सूचना पटी पर चिपकाया जायेगा।

आवेदन शुल्क एवं प्रशिक्षण निधि

13– आवेदन शुल्क निर्धारित करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें सक्षम प्राधिकारी होंगे, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से आधा शुल्क लिया जायेगा। निर्धारित शुल्क ई–चालान, ई–पेमेन्ट एवं ई–पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। उक्त हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता शासन के वित्त विभाग की सहमति से खोला जायेगा तथा प्राप्त धनराशि को विलम्बतम 03 दिन में राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा।

प्रवेश हेतु चयन की प्रकिया

14– (1) विज्ञापन के कम में पात्र अभ्यर्थियों के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के आधार पर एवं अभ्यर्थी द्वारा भरे हुए ऑनलाईन आवेदन मे इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र को आरोही कम (असेन्डिंग आर्डर) मे कमबद्ध करते हुए अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु एक स्टेट लेवल

श्रेष्ठता सूची चयन समिति के माध्यम से तैयार की जायेगी। कम्प्यूटर साफ्टवेयर द्वारा स्वतः उनकी मेरिट के आधार पर आरोही कम मे प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित कर दिया जायेगा। मेरिट मे अनारक्षित श्रेणी के 45 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे।

(2) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक प्रतिशत समान रहने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उपर रखा जायेगा।

(3) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों पर ट्यूटर इंचार्ज/प्रभारी की अध्यक्षता मे 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति द्वारा प्रशिक्षण हेतु योगदान देने वाले अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए अभिलेखों का एक सत्यापित सेट जमा कराकर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु योगदान कराया जायेगा।

(4) किसी प्रकार की विवाद की स्थिति मे उक्त समिति 07 दिन के अन्दर उसका निस्तारण करेगी। निस्तारण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी 30 दिन के अन्दर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से अपील कर सकता है जिसका निस्तारण एक माह के अन्दर उनके द्वारा किया जायेगा। यह अन्तिम अपील होगी जो बाध्यकारी होगी ।

समय सारिणी

15 (1) आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों/विभागीय वेबसाइट मे विज्ञापन प्रकाशन तिथि 15 मार्च होगी।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल होगी।

(3) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने की तिथि 15 मई होगी। व्यापक प्रचार–प्रसार वाले कम से कम तीन राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट में इस आशय की सूचना दी जायेगी।

(4) आनलाइन काउन्सिलिंग की तिथि 30 मई होगी।

(5) प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 जून होगी।

(6) प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि 01 जुलाई होगी।

परन्तु, विशिष्ट परिस्थिति में उक्त समय सारिणी में परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

चयन समिति

16– सामान्य उपचारिका के प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन समिति का स्वरूपः–

(1) चयन समिति का गठन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा ऐसा किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव, के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग, का एक–एक सदस्य होगा, जिस वर्ग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव होंगें, उस वर्ग के पृथक सदस्य की आवश्यकता नहीं होगी। संयुक्त सचिव/ उपसचिव स्तर का शासन द्वारा नामित एक सदस्य भी समिति मे रहेगा।

चयन समिति का कार्य

17–(1) व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम तीन राज्य स्तरीय दैनिक–समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से विज्ञापन कराना।

(2) ऑनलाइन साफ्टवेयर से प्राप्त सूचियॉ सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।

(3) प्राप्त अपील का निस्तारण।

(4) प्रशिक्षण मे गुणवत्ता का अनुश्रवण।

(5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा चयन समिति के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा एक प्रतीक्षा सूची, श्रेणीवार/प्रशिक्षण केन्द्रवार, बनायी जायेगी ताकि किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र पर कोई भी सीट खाली न रह जाये।

(6) चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश लेने हेतु 15 दिवसों का समय निर्धारित किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेख मूलरूप में प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के समक्ष जमा करने होंगें, जिसमें किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को उनके स्थान पर एवं प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची से प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए तत्काल अवगत कराया जायेगा।

प्रशासकीय नियंत्रण

18(1) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण तथा धात्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उस राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन रहेंगे, जिसमें उपर्युक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हों अथवा स्थापित किये जाएँ।

(2) सामान्य उपचारिका के प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाहियों का नियत्रंण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अधीन होगा।

पक्ष समर्थन

19– किसी प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए चयन हेतु किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक हो विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे प्रशिक्षण के लिए अनर्ह कर देगा।

प्रशिक्षण के लिए शर्तों में व्यायवृत्ति

20– इस अनुदेश में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य–

21– प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापरक बनाने हेतु केवल दक्षता प्रदान करना मात्र है। यह प्रशिक्षण मात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु होगा। प्रशिक्षण प्राप्त किसी अभ्यर्थी को सेवा में लिया जाना

किसी भी दशा में बाध्यकारी नहीं होगा।

प्रशिक्षण अवधि मे निर्धारित परीक्षा

22(1) उत्तर प्रदेश उपचारिका एवं धात्रीय परिषद द्वारा उपचारिका प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित परीक्षा में किसी भी छात्र अथवा छात्रा उपचारिका को प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किये जायेंगे।

(2) विशिष्ट एवं अपरिहार्य परिस्थितियों मे राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उपर्युक्त परीक्षा मे शामिल होने के लिए तृतीय अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

पाठयक्रम एवं प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षक संस्था–

23– उपचारिका प्रशिक्षण भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अवधि के अनुसार सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण तथा महिला छात्रा उपचारिकाओं को तीन वर्ष का धात्री कर्म प्रशिक्षण एवं पुरूष छात्र उपचारिकाओं को धात्री कर्म प्रशिक्षण के स्थान पर उपयुक्त प्रशिक्षण निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा यथानिर्देशित चिकित्सालय अथवा चिकित्सालयों में करना होगा।

परीक्षणार्थी का स्थानान्तरण

24 किसी प्रशिक्षणार्थी के आचरण के विरूद्ध शिकायत होने पर परिवाद की समुचित जांच एवं सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें दोषी पाये गये प्रशिक्षणार्थी को अन्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र मे स्थानान्तरित करने के लिए आदेश देगी, सुधार न होने की स्थिति मे दोषी प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण की शेष अवधि से वंचित किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण के लिए अन्य व्यवस्था

25(1) प्रशिक्षण की अवधि मे छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर छात्रवृत्ति एवं वर्दी भत्ता अनुमन्य शासनादेश के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्रों में यथासम्भव श्रेणीवार मेरिट के आधार पर छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। आवासीय व्यवस्था न होने पर छात्र/छात्राओं को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(2) प्रशिक्षण की व्यवस्था महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें अपने विशिष्ट अथवा सामान्य आदेशों द्वारा अनुदेशित करें, में की जाएगी।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि किसी अनुदेश के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कठिनाई अथवा बाधा पड़ने की सम्भावना है, ऐसे मामलों में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या 802 / पांच–8–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय / जिला संयुक्त चिकित्सालय / जिला महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. चिकित्सा विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।